

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय व्ययक अनुभाग)

क्रमांक: प.4(278)वित्त.1(1)आ.व्य./08

दिनांक : 13.10.2009

कोषाधिकारी,
जयपुर (सचिवालय), अलवर, भरतपुर, करौली,
सवाईमाधोपुर, धौलपुर, नागौर, चूरु, सीकर,
जैसलमेर, बाड़मेर, झालावाड़, राजसमंद,
चित्तौड़गढ़, बूंदी, बांरा (राजस्थान)।

विषय: राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (RUIDP - Phase-II) के बिलों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय;

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशित किया जाता है कि राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (RUIDP - Phase-II) के आहरण एवं वितरण अधिकारियों (अधिकांश अभियन्ता-IPIU) द्वारा माह के किसी भी कार्य दिवस को प्रस्तुत बिलों को स्वीकार किया जाये ताकि इन कार्यालयों द्वारा इस परियोजना के लिए किये जाने वाले भुगतानों में अनावश्यक विलम्ब न हो।

भवदीय,


S.S.

(सुधीर शर्मा)

उप शासन सचिव (बजट)

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
2. परियोजना निदेशक, राजस्थान अरबन इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट प्रोजेक्ट, राजस्थान, जयपुर।
3. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
4. विशेषाधिकारी, वित्त (व्यय-3) विभाग।
5. उप शासन सचिव, वित्त (मार्गोपाय) विभाग।



13.10.09
उप शासन सचिव (बजट)